

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला जहानाबाद बाद संख्या 1904/2016.

केस का प्रकार- अत्यधिक ठंड एवं कुहासा से संबंधित अभिलेख।

आदेश की कम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	<p>अत्यधिक ठंड एवं कुहासा के कारण बच्चों के पठन-पाठन में काफी कठिनाई देखी जा रही है। जिससे छोटे-छोटे बच्चों को ठंड लगने एवं बीमार पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही किसी भी तरह की अवांछित घटना होने से विधि-व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>उक्त परिस्थिति के आलोक में मैं नवल किशोर चौधरी, अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए पूरे जहानाबाद अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 30.12.2016 से दिनांक 02.01.2017 तक वर्ग-01 से वर्ग-08 तक के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों का पठन-पाठन का कार्य बन्द रहेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह आदेश सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में प्रख्यापित होगा। 2. यह आदेश पूर्व से निर्धारित किसी परीक्षा पर प्रभावित नहीं होगा। 3. यह आदेश सिर्फ पहली से अष्टम वर्ग तक के बच्चों के लिए प्रभावी रहेगा। <p>यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा के साथ निर्गत किया गया। लेखापित एवं संशोधित,</p> <p>(नवल किशोर चौधरी) अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद।</p> <p style="text-align: right;">(नवल किशोर चौधरी) अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद।</p> <p style="text-align: center;">ज्ञापांक 359 / न्या०, दिनांक 29-12-2016</p> <p>प्रतिलिपि:- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की कृपा की जाए। NIC को भी सूचित।</p> <p>प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अंचल अधिकारी, / प्रखंड विकास पदाधिकारी / थानाध्यक्ष, / ओ० पी० अध्यक्ष, अनुमंडल जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक(मु०) / प्रभारी पदा०, जिला विधि शाखा, जहानाबाद, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद की सेवा में सादर प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">(नवल किशोर चौधरी) अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद।</p>	